संख्या-2/बी0एल0-1207/07 श्रं0सं0- 3376

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

के0 सेंथिल कुमार,
विशेष सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 14-5-18

विषय:- केन्द्र प्रायोजित योजना, बंधुआ मजदूर पुनर्वास कार्यक्रम के वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना अन्तर्गत विभिन्न मदों में प्रावधानित कुल 20,00,000/- (बीस लाख) रूपये, राज्यांश के अन्तर्गत विभिन्न मदों में प्रावधानित कुल-1,20,00,000/- (एक करोड़ बीस लाख रू0 मात्र) तथा केन्द्रांश के अन्तर्गत 1,20,00,000/- (एक करोड़ बीस लाख रू0) अर्थात कुल-2,60,00,000/- (दो करोड़ साठ लाख रू0) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत कहना है कि श्रम एवं राजेगार मंत्रालय द्वारा पूर्व में संचालित केन्द्र प्रायोजित योजना को संशोधित पुनरीक्षित करते हुए Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labour दिनांक-17.05.16 से लागू किया है। उक्त तिथि के पहले विमुक्त श्रमिकों को पूर्व की केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत लाभान्वित कराया जाएगा। इस क्रम में केन्द्र प्रायोजित योजना के अधीन बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास योजना का अवधी विस्तार 20,000/- (बीस हजार) प्रति बंधुआ मजदूर की लागत पर किया जायेगा एवं पुनर्वास पर व्यय होने वाली राशि का वहन राज्य एवं केन्द्र सरकार 50:50 के अनुपात में करती है। इस प्रकार राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार का हिस्सा 10,000/-(दस हजार), 10,000/-(दस हजार) कुल 20,000/- (बीस हजार) मात्र प्रति बंधुआ मजदूर होता है। इस हेतु इस योजना के वित्तीय वर्ष-2018-19 में कार्यान्वयन के लिए राज्य योजनान्तर्गत प्रावधानित सामान्य श्रेणी के बंधुआ मदजूरों के लिए 14,00,000/- (चौदह लाख रू0) अनुसूचित जाति के लिए 5,00,000/- (पाँच लाख रू0) तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 1,00,000/- (एक लाख रू0) अर्थात कुल-20,00,000/- (बीस लाख रू0), राज्यांश के अन्तर्गत विभिन्न मदों में प्रावधानित सामान्य श्रेणी के बंधुआ मजदूरों के लिए 84,00,000/-(चौरासी लाख) अनुसूचित जाति के बंधुआ मजदूरों के लिए 30,00,000/- (तीस लाख) एवं अनुसूचित जनजाति के बंधुआ मजदूरों के लिए 6,00,000/-(छः लाख) अर्थात कुल राशि 1,20,00,000/- मात्र तथा केन्द्रांश के अन्तर्गत 1,20,00,000/-(एक करोड़ बीस लाख) अर्थात कुल-2,60,00,000/- (दो करोड़ साठ लाख रू0) के व्यय की स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प सं0-3758, दिनांक-31.05.2017 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार निम्न प्रकार से प्रदान की जाती है।

2. **राज्य योजना के अन्तर्गत प्रावधानित राशि** **(I)** सामान्य बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु राज्य योजना के अन्तर्गत प्रावधानित राशि के निकासी मुख्य शीर्ष-2230 श्रम एवं रोजगार और कौशल विकास उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-112 बंधुआ मजदूर का पुनर्वास मांग सं0-26-उप शीर्ष 0101 अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत (विपत्र कोड-26-2230011120101) निम्न इकाईयों में विकलनीय होगी:-

(क)	0101.35.01	राहत	-	14,00,000/-
		कुल योग	-	14,00,000/-

रूपये चौदह लाख मात्र ।

(II) अनुसूचित जाति के बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु राज्य योजना के अन्तर्गत प्रावधानित राशि के निकासी मुख्य शीर्ष-2230 श्रम एवं रोजगार और कौशल विकास उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-माँग सं०-26-उप शीर्ष-0102-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास तथा सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड-26-2230017890102) के अन्तर्गत निम्न इकाईयों में विकलनीय होगी:-

(क)	0102.35.01	राहत	-	5,00,000/-
		कुल योग	-	5,00,000/-

रूपये पाँच लाख मात्र ।

(III) अनुसूचित जन जाति के बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु राज्य योजना के अन्तर्गत प्रावधानित राशि के निकासी मुख्य शीर्ष -2230 श्रम एवं रोजगार और कौशल विकास उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-माँग सं०-26-उप शीर्ष 0103- बंधुआ मजदूर का पुनर्वास तथा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड-पी० 26-2230017960103) के अन्तर्गत निम्न इकाईयों में विकलनीय होगी:-

(क)	0103.35.01	राहत	-	1,00,000/-
		कुल योग	-	1,00,000/-

रूपये एक लाख मात्र ।

3. <u>राज्यांश की राशि</u> **(I)** सामान्य बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु राज्यांश की राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230 श्रम एवं रोजगार और कौशल विकास उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-112 बंधुआ मजदूर का पुनर्वास मांग सं0-26-उप शीर्ष 0301 बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास तथा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत (विपत्र कोड-26-2230011120301/पी0एफ0एम0एस0 कोड-2042) निम्न इकाईयों में विकलनीय होगी:-

(क)	0301.37.01	अनुग्रह अनुदान	-	84,00,000/-
		कुल योग	-	84,00,000/-

रूपये चौरासी लाख मात्र ।

(II) अनुसूचित जाति के बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु राज्यांश की राशि की निकासी मुख्य शीर्ष-2230 श्रम एवं रोजगार और कौशल विकास उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-माँग सं०-26-उप शीर्ष-0305-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास तथा सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड-26-2230017890305/पी0एफ0एम0एस0 कोड-2042) के अन्तर्गत निम्न इकाईयों में विकलनीय होगी:-

(क)	0305.37.01	अनुग्रह अनुदान	-	30,00,000/-
		कुल योग	-	30,00,000/-

रूपये तीस लाख मात्र ।

(III) अनुसूचित जन जाति के बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु राज्यांश की राशि की निकासी मुख्य शीर्ष - 2230 श्रम एवं रोजगार और कौशल विकास उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-माँग सं०-26-उप शीर्ष 0304- बंधुआ मजदूर का पुनर्वास तथा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड-पी० 26-2230017960304/पी0एफ0एम0एस0 कोड-2042) के अन्तर्गत निम्न इकाईयों में विकलनीय होगी:-

(क)	0304.37.01	अनुग्रह अनुदान	-	6,00,000/-
		कुल योग	-	6,00,000/-

रूपये छः लाख मात्र ।

4. <u>केन्द्रांश की राशि-</u>

इसके अतिरिक्त उपर्यक्त तीनों विपत्र शीर्षो के तहत बंधुआ मजदूरों को उपलब्ध कराई गई राज्यांश राशि के विरूद्ध केन्द्रांश की राशि की निकासी मुख्य शीर्ष-2230 श्रम एवं रोजगार और कौशल विकास उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-112- बंधुआ मजदूर का पुनर्वास-माँग सं०-26-उप शीर्ष-0201-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास तथा समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड-26-2230011120201/पी0एफ0एम0एस0 कोड-2042) के अन्तर्गत निम्न इकाईयों में विकलनीय होगी :-

	0200.37.01	अनुग्रह अनुदान	-	1,20,00,000/-

रूपये एक करोड़ बीस लाख बीस हजार मात्र ।

अर्थात 2(i,ii,iii)+3(i,ii,iii)+4 के तहत राज्य योजना एवं राज्यांश की कुल राशि 1,40,00,000/-(एक करोड़ चालीस लाख) मात्र एवं केन्द्रांश की राशि 1,20,00,000/- (एक करोड़ बीस लाख) अर्थात कुल 2,60,00,000/- (दो करोड़ साठ लाख) रू0 मात्र।

5. उक्त के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिनांक-17.05.16 के पूर्व विमुक्त बंधुआ मजदूरों को केन्द्र प्रायोजित योजना, बंधुआ मजदूर पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत पुनर्वासित करने का भौतिक लक्ष्य रखा गया है।

6. इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल-20,00,000/-(बीस लाख) रूपये राज्य योजनान्तर्गत और 1,20,00,000/- (एक करोड़ बीस लाख मात्र) राज्यांश मद में एवं 1,20,00,000/- लाख की राशि केन्द्रांश मद में अर्थात कुल 2,60,00,000/-(दो करोड़ साठ लाख) रूपये व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प सं0-3758, दिनांक-31.05.2017 मे प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत निर्गत किया जाता है । यह चालू योजना है।

8. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन पृ०-131+20पर प्राप्त है।

9. प्रस्ताव/प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृ०-131+20पर प्राप्त है।

10. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी/ संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/ श्रमायुक्त के सचिव, पटना होगें तथा नियंत्री पदाधिकारी, श्रमायुक्त, बिहार होगें ।

11. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली से संबंधित मामलों के पुनर्वास की राशि अविलम्ब विमुक्त की जायेगी ।

विश्वासभाजन

14/5/18

(के0 सेंथिल कुमार)

विशेष सचिव ।

ज्ञापांक-2/बी०एल०-1207/07 श्र०सं० 3376 पटना, दिनांक 14-5-18

प्रतिलिपि:-अवर सचिव श्रम एवं रोजगार मत्रांलय, भारत सरकार जैसलमेर हाउस मानसिंह रोड नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

14/5/18

(के0 सेंथिल कुमार)

विशेष सचिव ।

ज्ञापांक-2/बी०एल०-1207/07 श्र०सं० 3376 पटना, दिनांक 14-5-18

प्रतिलिपि:-सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/श्रमायुक्त के सचिव/सभी कोषागार पदाधिकारी/ उप कोषागार पदाधिकारी/आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-06 (श्रम पक्ष) एवं प्रशाखा-02 (सरकार पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

14/5/18

(के0 सेंथिल कुमार)

विशेष सचिव ।